कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना मेडतासिटी जिला नागौर

क्रमांकः—4840 दिनांकः— 09.10.2020

सेवामे,

श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया
जिला नागौर

विषय—: परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी जयपुर की जांच रिपोर्ट भेजने बाबत ।
प्रसंगः— राज सम्पर्क पोर्टल पर कमांक ग्रिवियन्स न0 09200138670866 दिनाक 30.09.2020 की पालना में

महोदया जी,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ मे निवेदन है कि श्रीमान वृताधिकारी महोदय वृत मेडतासिटी के कार्यालय से जरिये सम्पर्क पोर्टल परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी जयपुर का परिवाद दिनांक 07.09.2020 को राजस्थान पत्रिका मे छपी खबर **''बर्बरता—ग्रामीणो ने दो युवको के बाल काटे, गंदगी पिलाई''** के संबंध मे प्राप्त हुआ। वगैरा परिवाद पर जांच शुरू की गई।

दौराने जांच परिवाद पाया गया कि उक्त घटना के संबंध मे थाना हाजा पर प्रकरण सं 266/2020 जिसमे दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थी श्री छैलूराम के लिये जाकर शामिल मिशल किये गये। बयान गवाह हनुमानराम, अनिल, राकेश के लिये जाकर शामिल मिशल किये गये। प्रकरण हाजा की घटना के सबंध मे सोशल मिडिया पर वायरल विडियो की सीडी पृथक से तैयार कर सीडी शामिल मिशल की गई। प्रकरण हाजा का घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका हालात मौका मुर्तिब किया गया। प्रकरण हाजा मे नामजद मुलजिमान मुकेश पुत्र श्री प्रेमाराम जाति बावरी उम्र 27 साल निवासी लिलिया थाना मेडतासिटी जिला नागौर, महेन्द्रराम पुत्र श्री देवकरण जाति बावरी उम्र 22 साल निवासी लिलियां थाना मेडतासिटी, श्री सुरेश पुत्र श्री प्रेमाराम जाति बावरी उम्र 30 साल निवासी लिलियां थाना मेडतासिटी को गिरफतार किया जाकर बाद तफतीश दिनांक 07.09.20 को न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.09.20 को प्रकरण हाजा मे विधि विरूद्ध संघर्षरत किशोर राधेश्याम पुत्र श्री माणकराम जाति बावरी उम्र 16 साल निवासी लिलिया थाना मेडतासिटी को निरूद्ध किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.09.20 को प्रेमाराम पुत्र श्री गोपाराम जाति बावरी उम्र 55 साल निवासी लिलियां थाना मेडतासिटी, माणकराम पुत्र श्री गोपाराम जाति बावरी उम्र 42 साल निवासी लिलियां, देवकरण पुत्र श्री गोपाराम जाति बावरी उम्र 45 साल निवासी लिलियां, हडमान पुत्र श्री माणकराम जाति बावरी उम्र 21 साल निवासी लिलियां को गिरफतार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवाया गया। प्रकरण हाजा मे सम्पूर्ण नामजद आरोपियान को गिरफतार किया जा चुका है। प्रकरण हाजा मे अनुसंधान जारी है। परिवाद को शामिल पत्रावली किया गया।

अतः परिवाद जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

थानाधिकारी
थानाधिकारी
पुलिस थाना मेडतासिटी
(नागौर)

Scanned with CamScanner